भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति का अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

की

एम.एड. उपाधि की आंशिक अभिपूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

2013–14

शोध निर्देशक

डॉ0 राजीव अग्रवाल

असि0 प्रोफेसर

शोधार्थिनी

ऋचा शर्मा

शिक्षक शिक्षा विभाग

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा, बांदा

भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति का अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

की

एम.एड. उपाधि की आंशिक अभिपूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

2013–14

शोध निर्देशक	शोधार्थिनी
डॉ0 राजीव अग्रवाल	ऋचा शर्मा
असि0 प्रोफेसर	

शिक्षक शिक्षा विभाग

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा, बांदा

डॉ0 राजीव अग्रवाल
असि0 प्रोफेसर

शिक्षा संकाय
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज
अतर्रा, बांदा

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध **भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति का अध्ययन** शोधार्थिनी ऋचा शर्मा, एम.एड. छात्रा, सत्र 2013–14, ने मेरे निर्देशन में सम्पन्न किया है।

स्थानः अतर्रा

दिनांकः 2-05-2014

राजीव

(डॉ0 राजीव अग्रवाल)

घोषणा–पत्र

मैं, ऋचा शर्मा, एम.एड. छात्रा, सत्र 2013–14, शिक्षा संकाय, अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा (बांदा) शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध ''भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति का अध्ययन'' मेरी स्वयं की मौलिक रचना है। इसके पूर्व यह लघु शोध प्रबन्ध कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

स्थानः अतर्रा

दिनांकः 2-05-2014

शोधार्थिनी
Richa Sharma
(ऋचा शर्मा)

आभार

मैं सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती एवं परमपिता परमेश्वर को शत् शत् नमन करती हूँ जिनकी असीम अनुकम्पा से मुझे अपने कार्य को पूर्ण करने की शक्ति व साहस प्राप्त हुआ है।

मैं प्रस्तुत शोध विषय पर कार्य करने एवं अनुसंधान निर्देशन हेतु श्रद्धेय गुरुवर श्री राजीव अग्रवाल जी की आभारी हूँ जिनकी हार्दिक प्रेरणा एवं कुशल निर्देशन के फलस्वरूप ही मैं अपने शोधकार्य को कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकी हूँ। मैं विशेष रूप से में अपने माता पिता व परिवारजनों की आभारी हूँ जिनके निरन्तर उत्साहवर्धन, आर्शीवाद व स्नेह से मैं इस मुकाम तक पहुंच सकी और यह शोध कार्य पूर्ण कर सकी हूँ।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह लघु शोध प्रबन्ध मैंने पूर्ण मनोयोग, श्रद्धा तथा मेहनत से तैयार किया। मैंने पूरी कोशिश के साथ इसे यह रूप दिया है। फिर भी यदि कुछ कमियाँ रह जाती हैं, तो मैं क्षमा की प्रार्थिनी हूँ।

स्थानः अतर्रा

दिनांकः 2-05-2014

शोधार्थिनी

Richa Sharma

ऋचा शर्मा

अनुक्रमणिका

अध्याय क्रम

पृष्ठ संख्या

प्रथम अध्यायः–

द्वितीय अध्यायः–

तृतीय अध्याय:–

चतुर्थ अध्याय:–

पंचम् अध्यायः–

प्रथम अध्याय

1.1 प्रस्तावना
1.2 स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मत
1.3 स्त्री शिक्षा का महत्व
1.4 समस्या कथन
1.5 समस्या में प्रस्तुत शब्दों का परिभाषीकरण
1.6 अध्ययन विधि
1.7 अध्ययन के उद्देश्य
1.8 सीमांकन

1.1 प्रस्तावना:–

स्त्री समाज का आधार होती है। एक समाज के निर्माण में स्त्री की मुख्य भूमिका होती है। हमारे ग्रंथों में स्त्री को संसार की जननी कहा गया है। उसे देवी की तरह पूजा जाता है व आदर दिया जाता है।

मनु ने कहा है–

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्राफला क्रिया।"

अर्थात् जिस कुल में स्त्रियों का समादार है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं और जहाँ ऐसा नहीं होता है, उस परिवार में समस्त यज्ञादि क्रियायें व्यर्थ होती हैं।

हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्री को पुरूष की सहधर्मचारिणी कहा गया है, जो उसके धर्म आदि कार्यों में उसका बराबर का सहयोग करती है। उसे पुरूषों के समान ही जीवन को मजबूत आधार स्तम्भ माना गया है। शिक्षा ने स्त्री की परिभाषा बदलकर रख दी है। पहले स्त्री को अबला माना जाता था परन्तु आज की नारी अबला नहीं है। हर क्षेत्र में उसने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। वह आज नौकरी करने लगी है। हर क्षेत्र में उसकी योग्यता को सराहा जाता है। बीते समय में स्त्री का घर से निकलकर नौकरी करना बहुत बुरा माना जाता था, उसे घर में रखी वस्तु के समान ही समझा जाता है। लेकिन जबसे वह शिक्षित हुई है, उसने इस धारणा के खण्ड–खण्ड कर दिए हैं। आज बेटों के स्थान पर वह पूरी निपुणता के साथ घर की जिम्मेदारियां संभाल रही है। नौकरी ने उसके अस्तित्व को सम्मान और गौरव दिया है। आज वह किसी पर आश्रित नहीं है। नौकरी को वह उतनी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है जितनी जिम्मेदारी के साथ घर परिवार संभाला करती हैं।

स्त्री की उन्नत अथवा पठित स्थिति पर ही समाज का भी उत्थान एवं पतन निर्भर हैं–

स्त्री गृहिणी है, नियंत्री है, अन्नपूर्णा है
स्त्री में ममतामयी माँ का अस्तित्व निहित है,
स्त्री पुरूष की प्रगति, विकास की प्रेरणा स्त्रोत जाह्नवी है,
स्त्री अनेक परिवारों का संगम–स्थल है,
स्त्री मनुष्य की आदि गुरू है........ निर्मात्री है।

वह सब तरह घर का नियंत्रण करती हैं घर के कामों की देखरेख, संचालन व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी पर है।

'गृहिणी गृहमुच्यते'

कहकर हमारे पूर्वजों ने इसीलिए उसका सम्मान किया है। स्त्री वह पहली कड़ी होती है जिससे एक नया जीवन उत्पन्न होता है, बच्चा स्वरूप होता है। वह माँ के द्वारा संसार को जानने समझने लगता है। माँ उसको जैसा संसार दिखाती है, वह संसार को वैसा ही देखने लगता है। यदि एक अशिक्षित माँ अन्य चीजों के बारे में खुद अंजान है तो वह बच्चे को कैसे सही व पूरा ज्ञान दे पायेगी। इस तरह समाज का विकास रूक जाता है, जहां समाज का विकास रूक जाता है वहां देश का विकास अपने आप रूक जाता है। स्त्री वह ईकाई होती है जो परिवार से लेकर राष्ट्र तथा उससे भी ऊपर प्राणिमात्र की चिन्ता करते हुए उसके मंगल हेतु सदैव प्रयत्नशील रहती है। नारी वह दीपक है जो स्वयं जलकर सामाजिक अंधकार को चुनौती देती देते हुए प्रकाश भर देती है। स्त्री जहाँ सृजनात्मक शक्ति की साकार प्रतिमा है, वहीं वह सदाचार की धात्री, कत्री और रक्षिका भी है।

लेकिन इन सब मान्यताओं के होते हुए भी हमारे समाज में स्त्रियों को उचित स्थान प्राप्त नहीं है। स्त्रियाँ अभी भी पुरूषों के अधीन हैं। वे अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकती हैं।

आज सारे संसार में स्त्रियों का स्तर पुरूषों से नीचे है। भारत भी इससे

अलग नहीं है। परिवर्तनशीलता के नैतिक नियम के कारण भारतवर्ष में स्त्री की दशा सदा एक सी नहीं रही है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलायें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता , प्रशासनिक अधिकारी जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।

स्त्रियों की स्थिति में यह सुधार शिक्षा द्वारा ही सम्भव हुआ है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा का जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि शिक्षा ही मानव को अंधकार से प्रकाश एवं ज्ञान के उजाले की ओर ले जाती है। आज भारत में प्रजातंत्र के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यकता शिक्षित महिलाओं व बालिकाओं की है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योगदान देती है। उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है उसे अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है। उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है और उसके व्यवहार विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, देश और विश्व के

लिए हितकारी होता है।

जब शिक्षा का सम्बन्ध स्त्री शिक्षा से जोड़ा जाता है तब शिक्षा के उदीयमान स्वरूप एवं संभावित परिणामों से बहुत आशा की जाती है। शिक्षा से स्वावलंबन की भावना को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है, जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, विशेषकर स्त्रियों के लिए व्यक्तित्व विकास और कुछ अर्जित करने के लिए स्वावलंबन अनिवार्य है। नारी को पुरुष के समान स्तर पर लाने और उसके चरित्र, समान और गरिमा को बनाने में स्वावलंबन एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, किन्तु शिक्षा के बिना स्वावलंबन की बात करना असंभव एवं अकल्पनीय है।

1.2 स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मत–

1. महात्मा गांधी ने स्त्री शिक्षा को पुरूष की शिक्षा से किन्हीं अर्थों में हेय दृष्टि से नहीं देखा। उनके अनुसार स्त्री के त्याग के बिना पुरूष का सुख पाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता।

स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में गांधी जी ने कहा है कि:–
''बच्चों की शिक्षा का प्रश्न तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक कि स्त्री शिक्षा को गम्भीरता से न लिया जाये।''

2. स्वामी विवेकानन्द के अनुसार एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, उड़ने के लिए दोनों पंख आवश्यक हैं। सामाजिक व्यवस्था केवल पुरूष शिक्षा से ही नहीं चल सकती इसके लिए स्त्री पुरूष दोनों का शिक्षित होना आवश्यक है। स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा कि:– ''पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो तब वे आपको बताएगीं कि उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं, उनके मामलों में बोलने वाले तुम कौन हो।''

3. पं0 जवाहरलाल नेहरू ने कहा:–
''एक लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।''

4. बी0आर0 अम्बेडकर जी ने कहा है:–
''मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है, उससे मापता हूँ।''

5. मो0 अली जिन्ना के अनुसार:–
''कोई भी मुल्क यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता, जब तक उसकी महिलाऐं कंधे से कंधा मिलाकर न चलें।''

6. कोफी अन्नान के अनुसार:–

"और अधिक देश यह समझ गए हैं, कि महिलाओं की शिक्षा विकास के लिए पूर्वाकंक्षित है।"

7. राल्फ वाल्डो एमर्सन:–

"मेरा मानना है कि अच्छी औरतों का प्रभाव सभ्यता को मापने के लिए पर्याप्त है।"

8. महर्षि कर्वे ने कहा है:–

"राष्ट्र के उत्कर्ष निर्माण के लिए तमाम नारियाँ शिक्षित होनी चाहिए।"

9. स्त्री शिक्षा के महत्व को व्यक्त करते हुए पेस्टॉलाजी ने कहा कि–
"एक माता सौ शिक्षकों के बराबर होती है।"

10. According to Brigham Young:- You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.

1.3 नारी शिक्षा का महत्व:–

जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न हैं यह तो नारी हो या पुरूष दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षा का कार्य हो व्यक्ति के विवेक को जगाकर उसे सही दिशा प्रदान करना है। शिक्षा सभी का समान रूप से हित साधना किया करती है। परन्तु फिर भी भारत जैसे विकासशील देश में नारी की शिक्षा का महत्व इसलिए अधिक है कि वह देश की भावी पीढी को योग्य बनाने के कार्य में उचित मार्गदर्शन कर सकती है। बच्चे सबसे अधिक माताओं के सम्पर्क में रहा करते हैं। माताओं के संस्कारों, व्यवहारों व शिक्षा का प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क पर सबसे अधिक पड़ा करता है। शिक्षित माता ही बच्चों के कोमल व उर्बर मन मस्तिष्क मे उन समस्त संस्कारों क बीज बो सकती है जो आगे चलकर अपने समाज, देश और राष्ट्र के उत्थान के लिए परम आवश्यक हुआ करते हैं।

एक बार महान सेनानायक नेपोलियन ने कहा था:–

बालक का भावी भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है।

अतः देश की पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को सामने रखते हुए स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था करना अति आवश्यक है। आगे शोधार्थिनी द्वारा इन्हीं परिस्थितियों को सामने रखते हुए स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रस्तुत किया गया है:–

1.3.1. पारिवारिक दृष्टि से–

परिवार में माताओं का स्थान एवं महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि माताऐं ही बालकों को सुशिक्षित कर परिवार का योग्य सदस्य बना सकती है और सम्पूर्ण पारिवारिक जीवन में सुख का संचार कर सकती है किन्तु यह तभी सम्भव है जबकि उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाये।

दूसरे शब्दों मे पारिवारिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। वास्तव में जैसा कि फ्रोबेल ने लिखा है–

मातायें आदर्श अध्यापिकायें हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है।

1.3.2 सामाजिक दृष्टि से–

स्त्रियाँ संस्कृति एवं समाज सभ्यता की संरक्षक एवं वाहक है। अतः समाज की प्रगति के लिए पुरूषों की भांति स्त्रियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। वास्तव में वे शिक्षा प्राप्त कर ही परिवार के सीमित क्षेत्र के बाहर निकलकर ''

वसुधैव कुटुम्बकम'' की भावना से प्रेरित होकर सम्पूर्ण समाज की प्रगति में सहायक हो सकती है। इस प्रकार देश के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए स्त्री शिक्षा को महत्व देना और तदनुकूल उसकी व्यवस्था करना अति आवश्यक है।

1.3.3 आर्थिक दृष्टि से –

वर्तमान समय की परिवर्तित परिस्थितियों में पुरूषों के समान ही भारतीय नारियों के कंधों पर भार आ पड़ा है। अब स्त्रियों का जीवन घर की चहार दीवारी तक सीमित रखना मुश्किल है। अब उनसे भी यह आशा की जाने लगी है कि परिवार, समाज तथा देश की आर्थिक स्थिति में प्रगति लाने में सक्रिय भूमिका निभायें और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए आगे बढ़े।

इन सब बातों के लिए उन्हें उपयोगी शिक्षा देना अति आवश्यक हो गया है।

1.3.4 राजनीतिक दृष्टि से –

पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि के समान राजनैतिक दृष्टि से भी स्त्री–शिक्षा का कम महत्व नहीं है। वे शिक्षित स्त्रियाँ ही हैं जो कि अपने बच्चों को उचित देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था कर उन्हें सुयोग्य नागरिक एवं देश का कर्णधार बनाकर उन्हें राष्ट्र की प्रगति में योगदान के लिए अग्रसर एवं प्रेरित करती है। इतना ही नहीं अब स्त्रियों से यह आशा की जाती है कि वे सक्रिय राजनीति में भाग लेकर राष्ट्र के गौरव तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में योगदान दें।

आज कितनी ही शिक्षित नारियाँ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में हाथ बटा रही है। वस्तुतः लोकतंत्रीय राष्ट्र की सफलता के लिए स्त्रियों को शिक्षित होना अति आवश्यक है। अतः स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करना आज देश की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है।

1.4 समस्या कथनः–

प्रस्तुत शोध कार्य में जो समस्या शोधार्थिनी द्वारा चुनी गयी है वह एक महत्वपूर्ण समस्या है। स्त्री शिक्षा का इतना विकास होने पर भी वर्तमान समय में शिक्षा के द्वारा स्त्री की दशा में अपेक्षाकृत कम सुधार हुआ है। इसलिए शोधार्थिनी ने ''भारत में स्त्री–शिक्षा की स्थिति का अध्ययन'' समस्या को अपने शोधकार्य के लिए चुना। अतः शोधार्थिनी द्वारा चयनित समस्या है– **भारत में स्त्री–शिक्षा की स्थिति का अध्ययन है।**

1.5 समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण–

भारत– भारत देश आधुनिक दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह देश उत्तरी मध्य रेखा के बीच $8^{0}4'$ और $31^{0}6'$ उत्तरी अक्षांश पर तथा $68^{0}7'$ और $97^{0}25'$ पूर्व अक्षांश पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है।

स्त्री–शिक्षाः– स्त्री–शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, स्त्री+शिक्षा।स्त्री ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, क्योंकि स्त्री सृष्टि की संरचना में अहम भूमिका का निर्वहन करती है। वह जीवन का आधार होती है, क्योंकि कि हर एक अवस्था में स्त्री का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वह एक माँ, बहन और पत्नी आदि रूपों में पुरूषों को सहारा देती है।

शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा व्यक्ति का सामाजिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह से विकास करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है।

समाज में शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। किसी भी प्रकार की अहम् धुरी माँ होती है लेकिन अशिक्षित मां के द्वारा बच्चों में उन्नत संस्कारों का निरूपण असंभव है, क्योंकि वह उनकी गूढ़ व सामयिक समस्याओं का निदान करने में असमर्थ पाती है। कहा भी गया है योग्य व शिक्षित माँ जिस प्रकार बच्चे के सर्वांगीण विकास को समझ सकती है, अशिक्षित माँ द्वारा सम्भव नहीं है। इस प्रकार यदि स्त्रियाँ शिक्षित है, तो वे माँ, पत्नी और बहन के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य कर व्यक्ति, परिवार और समाज को सुसंस्कृत बना सकती है। इस प्रकार शिक्षित स्त्री पग पग पर मानव जीवन को प्रभावित करती है। शिक्षित नारी ही परिवार एवं समाज की शोभा है।

वर्तमान समय में स्त्रियों की शिक्षा हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। किन्तु फिर भी अनेकों प्रयासों के बावजूद स्त्रियों को पूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे है, जिस कारण इस क्षेत्र में और प्रयास की जरूरत है।

1.6 अध्ययन विधि–

किसी भी शोध अध्ययन के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। चूंकि शोधार्थिनी का शोध विषय सामाजिक क्षेत्र की समस्या पर आधारित है, अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया गया है।

ऐतिहासिक विधि का प्रयोग इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों की समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है।

ह्टिनी के अनुसार– ''ऐतिहासिक अनुसंधान विगत या पूर्व अनुभवों का उसी ढंग से विश्लेषण करता है। इसका उददेश्य भूतकालीन घटनाक्रम एवं तथ्यों के आधार पर सामाजिक समस्याओं का चिन्तन एवं विश्लेषण करना है जिनका समाधान नहीं मिल सका है।''

करलिंगर (1978) के अनुसार– ''ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास क्रमों तथा विगत अनुभूतियों का अध्ययन करना होता है।''

ऐतिहासिक विधि के उद्देश्य:– ऐतिहासिक विधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1.6.1 ऐतिहासिक विधि का उद्देश्य अतीत की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना नहीं होता है बल्कि इसका उददेश्य तथ्यों का विश्लेषण करके कुछ विचारधाराओं के विकास का विश्लेषण करना होता है।

1.6.2 ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कुछ विचारध ारकों की खोज करता है और इनके आधार पर वर्तमान समस्याओं की व्याख्या करता है।

1.6.3 ऐतिहासिक विधि का मुख्य उद्देश्य समस्या के ऐतिहासिक महत्व को समझना है।

1.7 अध्ययन के उद्देश्य–

किसी भी कार्य को करने से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। उद्देश्यों के निर्धारण के अभाव में हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

ह्विटनी के अनुसार– ''ऐतिहासिक अनुसंधान विगत या पूर्व अनुभवों का उसी ढंग से विश्लेषण करता है। इसका उददेश्य भूतकालीन घटनाक्रम एवं तथ्यों के आधार पर सामाजिक समस्याओं का चिन्तन एवं विश्लेषण करना है जिनका समाधान नहीं मिल सका है।''

करलिंगर (1978) के अनुसार– ''ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास क्रमों तथा विगत अनुभूतियों का अध्ययन करना होता है।''

ऐतिहासिक विधि के उद्देश्य:– ऐतिहासिक विधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1.6.1 ऐतिहासिक विधि का उद्देश्य अतीत की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना नहीं होता है बल्कि इसका उददेश्य तथ्यों का विश्लेषण करके कुछ विचारधाराओं के विकास का विश्लेषण करना होता है।

1.6.2 ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कुछ विचारध ारकों की खोज करता है और इनके आधार पर वर्तमान समस्याओं की व्याख्या करता है।

1.6.3 ऐतिहासिक विधि का मुख्य उद्देश्य समस्या के ऐतिहासिक महत्व को समझना है।

1.7 अध्ययन के उद्देश्य–

किसी भी कार्य को करने से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। उद्देश्यों के निर्धारण के अभाव में हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

(1) प्राचीन व वर्तमान समय में स्त्रियों की शैक्षिक दशा का अध्ययन करना ।

(2) वर्तमान समय में स्त्रियों की शिक्षा पर कितना जोर दिया जा रहा है, इसका अध्ययन करना।

(3) पुरूष प्रधान समाज में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।

(4) वर्तमान समय में शिक्षा के उपलब्ध अवसरों के उपयोगों का अध्ययन करना।

1.8 सीमांकन– प्रस्तुत शोध में कई स्थानों पर इण्टरनेट की सहायता से आंग्ल भाषा की सामग्री का प्रयोग किया गया है। शोधार्थिनी समय अभाव के कारण उसका हिन्दी में अनुवाद नहीं कर सकी।

द्वितीय अध्याय

2.1 सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

(1) प्राचीन काल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन।

(क) ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन।

(ख) उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन।

(ग) बौद्ध काल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन।

(घ) मुस्लिम काल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन।

(2) मध्य काल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन।

(3) स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन।

2.2 निष्कर्ष

2.1 सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण–

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शोधकर्ताओं को नवीनतम ज्ञान के शिखर पर ले जाता है जहाँ उसे अपने क्षेत्र से सम्बन्धित तथ्यों, आंकड़ों एवं परिणामों का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है तथा यह ज्ञात होता है कि ज्ञान के क्षेत्र मे कहां रिक्तियाँ हैं? कहां निष्कर्ष विरोध है?

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन द्वारा बहुत से अनुसंधान प्रतिवेदनों की कमियाँ और अच्छाइयों को जान लेने के बाद इस बात की तनिक भी संभावना नहीं रह जाती है कि वह अपने अनुसंधान में उन गलतियों की पुनरावृत्ति करेगा जो उसके पूर्व शोधकर्ता कर चुके है।

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य शोध की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान–कोषों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित–अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों से है जिनके अध्ययन से शोधकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं अनुसंध ान कार्य को आगे बढाने में सहायता मिलती है।

डब्ल्यू0आर0 बोर्ग ने इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि–

'किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधार शिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ़ नहीं कर लेते तो हमारे कार्य के प्रभावहीन, महत्वहीन तथा पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना होतीं है।''

अतः यह कहा जा सकता है कि शोध की सफलता, सरलता और उपयोगिता के लिए सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन आवश्यक है।

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं–

1. यह अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है।

2.1 सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण–

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शोधकर्ताओं को नवीनतम ज्ञान के शिखर पर ले जाता है जहाँ उसे अपने क्षेत्र से सम्बन्धित तथ्यों, आंकड़ों एवं परिणामों का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है तथा यह ज्ञात होता है कि ज्ञान के क्षेत्र मे कहां रिक्तियाँ हैं? कहां निष्कर्ष विरोध है?

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन द्वारा बहुत से अनुसंधान प्रतिवेदनों की कमियाँ और अच्छाइयों को जान लेने के बाद इस बात की तनिक भी संभावना नहीं रह जाती है कि वह अपने अनुसंधान में उन गलतियों की पुनरावृत्ति करेगा जो उसके पूर्व शोधकर्ता कर चुके है।

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य शोध की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान–कोषों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित–अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों से है जिनके अध्ययन से शोधकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं अनुसंधान कार्य को आगे बढाने में सहायता मिलती है।

डब्ल्यू0आर0 बोर्ग ने इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि–

'किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधार शिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ़ नहीं कर लेते तो हमारे कार्य के प्रभावहीन, महत्वहीन तथा पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना होती है।''

अतः यह कहा जा सकता है कि शोध की सफलता, सरलता और उपयोगिता के लिए सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन आवश्यक है।

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं–

1. यह अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है।

2. अब तक समस्या से सम्बन्धित क्षेत्र में हो चुके कार्य की सूचना देता है।

3. पहले किए गए कार्य के आंकड़े वर्तमान अध्ययन में सहायक होते हैं।

4. इसके अध्ययन से शोधकर्ता के समय की बचत होती है।

5. समस्या के सीमांकन में सहायक होता है।

6. इससे अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है।

7. शोधार्थी को त्रुटियों से बचाता है एवं सावधान रखता है।

8. अध्ययन की विधि में सुधार कर श्रम की बचत करता है तथा शोधकर्ता में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है।

9. यह अनुसंधान कार्य का आधार होता है इसके अभाव में शोध कार्य के दिशाहीन होने की संभावना रहती है।

शोधार्थिनी ने अपनी समस्या का अध्ययन करते समय अपने विषय से सम्बन्धित निम्न अध्ययन का सर्वेक्षण किया है।

2.1.1 प्राचीन समय में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन–

प्राचीन काल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन निम्न कालों के अन्तर्गत करते हैं–

(क) ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की शैक्षिक दशा–

वैदिक कालीन शिक्षा साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय पुरूषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार था।

उन्हें वेदाध्ययन की पूरी पूरी स्वतंत्रता थी।

बालिकाओं को धर्म और साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, काव्य रचना, वाद–विवाद आदि की भी शिक्षा दी जाती थी।

इस काल में हमें राजनीति एवं युद्ध विद्या में भी निपुण स्त्रियों के उदाहरण प्राप्त

होते हैं।

बालकों की भांति बालिकाओं का वेदाध्ययन करने के पूर्व उपनयन संस्कार अनिवार्य था।

बालकों के समान वे भी ब्रह्मचर्य जीवन और उसके नियमों का पालन करते हुए ज्ञानार्जन करती थी।

कहीं कहीं पर बालिकाओं के लिए छात्रावासों की व्यवस्था थीं जिनका निरीक्षण महिला अध्यापकों द्वारा होता था।

(ख) उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन– ऋग्वैदिक काल की भांति ही उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह प्रथा नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में नारी की चतुर्मुखी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

अथर्ववेद के अनुसार स्त्रियाँ पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थीं। उत्तर वैदिक काल में भी विदुषी स्त्रियाँ हुई हैं जिनमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी परम विदुषी थीं।

(ग) बौद्धकाल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन–

बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरूषों से निम्नतर था। अतः सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता।

संघों में स्त्रियों का प्रवेश भिक्षुओं की आज्ञा पर निर्भर था क्योंकि भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का उपदेश दिया जाता था, इसलिए उन्होनें बहुत ही कम स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दी।

बौद्ध धर्म ने कुलीन और व्यावसायिक स्त्रियों की शिक्षा को जिनकी संख्या प्रायः नगण्य थी, प्रोत्साहन दिया पर सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया।

(ग) मुस्लिम काल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन–

इस्लाम स्त्री शिक्षा का निषेध नहीं करता है, किन्तु मुस्लिम संस्कृति में पर्दा प्रथा का विशेष महत्व होने के कारण मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा का क्षेत्र अति सीमित था।

प्रारम्भ में तो बालिकाओं को बालकों के समान विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता था, किन्तु एक निश्चित आयु के बाद उन्हें घर की चहारदीवारी में बंद हो जाना पड़ता था।

मुगल काल में राजकुमारियों की शिक्षा के प्रति विशेष रूप से ध्यान दिया गया। वे बड़े होने पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण करती थीं।

मुगल काल में हमें ऐसी राजकुमारियों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होनें शिक्षा जगत में अपना नाम रोशन कर दिया।

बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायुंनामा की रचना की।

हुमायुं की भतीजी सलीमा सुल्तान ने फारसी भाषा में अनेक कविताओं का सृजन किया।

नूरजहां, मुमताज महल, जहाँआरा बेगम एवं जेबुन्निसा अरबी एवं फारसी साहित्य में दक्ष थीं।

2.1.2 मध्य काल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन:–

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझकर उसकी ओर रंचमात्र भी ध्यान नहीं दिया।

इसका कारण यह था कि कम्पनी को अपने शासनकाल में शिक्षित युवकों की आवश्यकता थी न कि युवतियों की।

इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यधिक रूढ़िवादी था।

कम्पनी के शासनकाल में बालिका विद्यालयों की स्थापना मिशनियों और सरकारी एवं गैर सरकारी मनुष्यों के व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप हुई।

व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूपों स्थापित किए जाने वाले बालिका विद्यालयों में सबसे प्रसिद्ध कलकत्ता का बैथ्यून स्कूल था।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरम्भ होने वाले पुनरुत्थान के कारण स्त्री शिक्षा की प्रभूत प्रगति हुई।

विद्या प्रेमी लार्ड कर्जन ने स्त्री शिक्षा की पतित अवस्था से क्षुब्ध होकर उसका उत्थान करने का संकल्प किया।

1904 का 'शिक्षा सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव' पारित करवा के स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक धन व्यय किया।

आदर्श बालिका–विद्यालयों की स्थापना की और अध्यापिका प्रशिक्षण का प्रावधान किया।

1913 के 'शिक्षा सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव' की सिफारिशों के फलस्वरूप स्त्री शिक्षा की प्रत्येक स्तर पर प्रगति हुई।

ब्रह्मम् समाज, आर्य समाज, सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी जैसी अनेक सुधारवादी सामाजिक संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया।

1904 में श्रीमती ऐनीं बेसेन्ट ने बनारस में सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल का निर्माण किया।

1916 में कर्वे और भण्डारकर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप पूना में महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ।

सन् 1947 में स्त्री शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं की संख्या 17520 थीं और उसमें अध्ययन करने वाली बालिकाओं की संख्या 1629826 थी।

1947–48 में नारी शिक्षा की स्थिति

शिक्षा संस्थान का प्रकार	शिक्षण संस्थान की संस्था	शिक्षण संस्थानों में दाखिल महिलाओं की संख्या
सामान्य शिक्षण विश्वविद्यालय	1	5
कला एवं विज्ञान महाविद्यालय	59	7105
हाईस्कूल	586	182757
माध्यमिक स्कूल विद्यालय	1201	181113
प्राथमिक विद्यालय	14336	1201817
विशिष्ट शिक्षा– व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय	4	297
शिक्षण महाविद्यालय	11	660
व्यवसायिक और दूसरे विद्यालय	785	30843
अपरिचित शिक्षण संस्थान	537	25229
योग	17520	1629826

2.1.3 स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन :–

स्वतंत्रता के साथ ही भारत सरकार ने स्त्रियों की स्थिति में कई प्रयास किए। सरकार ने स्त्रियों को शिक्षा के लिए गम्भीरतापूर्वक अभिप्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये। पंचवर्षीय योजना में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। सरकार ने नारी उत्थान के लिए ''श्रीमती जयन्ती पटनायक'' की अध्यक्षता में 'नेशनल कमीशन ऑफ वूमैन' की स्थापना की। स्त्रियों के उद्धार के लिए यह कमीशन एक अच्छा अस्त्र होगा, ऐसी उम्मीद की गयी। नेशनल कमीशन की धारा 1990 के अनुसार सरकार के लिए यह आवश्यक यह है वह स्त्रियों के संदर्भ में

नई नीतियों के निर्धारण के समय कमीशन से परामर्श ले। लोगों का ऐसा मत है कि यह पुरूष शासित समाज में स्त्रियों की सुरक्षा एवं उन सभी संवैधानिक एवं कानूनी पहलुओं का अध्ययन करता है जो स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी या उपयोगी हैं।

स्त्री शिक्षा की प्रगति का अध्ययन नीचे दी गयी तालिका से किया जा सकता है–

सम्पूर्ण भारतीय साक्षरता दर प्रतिशत में

वर्ष	पुरूष	स्त्री	कुल साक्षरता
1901	9.8	0.6	5.3
1911	10.6	1.1	5.9
1921	12.62	1.8	7.2
1931	15.6	2.9	9.5
1941	24.9	7.3	16.1
1951	24.9	7.9	16.7
1961	34.4	13	24
1971	39.5	18.7	29.5
1981	46.9	24.8	36.2
1991	63.86	39.42	52.11
2001	75.26	53.67	65.38
2011	82.14	65.46	74.04

स्त्रोत– प्रस्तुत सारणी को शोधार्थिनी द्वारा इन्टरनेट से प्राप्त किया गया है। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना से प्राप्त शैक्षिक दर प्रतिशत में के आंकड़ों को दर्शाया गया है।

साक्षरता के बारे में ताजा आंकड़े 2011 जनगणना से प्राप्त हुए हैं जो कि काफी उत्साहवर्धक हैं। वर्ष 2001 में भारत में कुल साक्षरता दर 65.38 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई अर्थात् जहाँ पहले दो-तिहाई से कम आबादी साक्षर थी वहीं अब लगभग तीन चौथाई आबादी साक्षर है। पहले साक्षर पुरूषों का प्रतिशत 75.26 था और साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत 53.67 किन्तु 2011 में साक्षर पुरूषों का प्रतिशत 82.14 और साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत 65. 46 है। पिछ्ले एक दशक मे पुरूष साक्षरता दर में मात्र सात प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि स्त्री साक्षरता में इस दौरान 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। दूसरों शब्दों में वर्ष 2001 में 33.65 करोड़ पुरूष साक्षर थे और 33.42 करोड़ स्त्रियाँ साक्षर थे। इस प्रकार वर्ष 2001-11 के दौरान कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 56.07 करोड़ से बढ़कर 77.84 करोड़ हो गयी। इस प्रकार इस दौरान अतिरिक्त साक्षर 21.77 करोड़ व्यक्तियों में से 11.01 करोड़ महिलायें और 10.76 करोड़ पुरूष थे।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कुछ वर्षों में स्त्रियों की शिक्षा की दशा में काफी सुधार हुआ है। इस स्थिति में स्त्रियों की प्रगति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्त्रियों ने एक नयी सामाजिक स्थिति प्राप्त की है। आज स्त्रियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं ।

भारत के विभिन्न राज्यों में पुरूष तथा स्त्री की साक्षरता का अध्ययन–

2011 की जनगणना के अनुसार पुरूष और स्त्री साक्षरता दर

राज्य	कुल साक्षरता	पुरूष साक्षरता	स्त्री साक्षरता	कुल साक्षरता दर	पुरूष साक्षरता दर	स्त्री साक्षरता दर
भारत	778454120	444203762	334250358	77.04	82.14	65.46
जम्मू व कश्मीर	7245053	4370604	2874449	68.74	78.26	58.01
हिमाचल प्रदेश	5104506	2791542	2312964	83.78	90.83	76.6
पंजाब	18988611	10626788	8361823	76.68	81.48	71.34
चंडीगढ	809653	468166	341487	86.43	90.54	81.38
उत्तराखण्ड	6997433	3930174	3067259	79.63	88.33	70.7
हरियाणा	16904324	9991838	6912486	76.64	85.38	66.77
दिल्ली	12763352	7210050	5553302	86.34	91.03	80.93
राजस्थान	38970500	24184782	14785718	67.06	80.51	52.66
उत्तरप्रदेश	118423805	70479196	47944609	69.72	79.24	59.26
बिहार	54390254	32711975	21678279	63.82	73.39	53.33
अरूणाचल प्रदेश	789943	454532	335411	66.95	73.69	59.57
नागालैण्ड	1357579	731796	625783	80.11	83.29	76.69
मणिपुर	1891196	1026733	864463	79.85	86.29	73.17
मिजोरम	847592	438949	408643	91.58	93.72	89.4
त्रिपुरा	2831742	1515973	1315769	87.75	92.18	83.15
मेघालय	1817761	934091	883670	75.48	77.17	73.78
असम	19507017	10756937	8750080	73.18	78.81	67.27
पश्चिम बंगाल	62614556	34508159	28106397	77.08	82.67	71.16
झारखण्ड	18753660	11168649	7585011	67.63	78.45	56.21
उड़ीसा	27112376	15826036	11186340	73.45	82.4	64.36
छत्तीसगढ़	15598314	8962121	6636193	71.04	81.45	60.59
मध्यप्रदेश	43827193	25848137	17979056	70.63	80.53	60.02
गुजरात	41248677	23995500	17953177	79.31	87.23	70.73
दमन व दीव	188974	124911	64063	87.07	91.48	79.59
दादर व नागर हवेली	228028	144916	83112	77.65	86.46	65.93
महाराष्ट्र	82512225	46224041	36218184	82.91	89.82	75.48
आंध्रप्रदेश	51438510	28759782	22678728	67.66	75.56	59.74
कर्नाटक	41029323	22808468	18220855	75.6	82.85	68.13
गोवा	1152117	620026	532091	87.4	92.81	81.84
लक्षद्वीप	52914	28249	24665	92.28	96.11	88.25
केरल	28234227	13755888	14478339	93.91	96.02	91.98
तमिलनाडु	52413116	28314595	24098521	80.33	86.81	73.86
पाण्डिचेरी	966600	502575	464025	86.55	92.12	81.22
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	293695	164219	129476	86.27	90.11	81.84

इस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है। पुरूष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है तथा स्त्री साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है।

भारत के राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य में 93.91 प्रतिशत और इसके बाद मिजोरम में 91.58 प्रतिशत है।

पुरूष साक्षरता दर सबसे अधिक लक्षद्वीप में 96.11 प्रतिशत और केरल में 96.02 प्रतिशत है।

स्त्री साक्षरता दर सबसे अधिक केरल राज्य में 91.58 प्रतिशत उसके बाद मिजोरम में 89.40 प्रतिशत है।

सबसे कम पुरूष साक्षरता दर बिहार में 73.39 प्रतिशत और सबसे कम स्त्री साक्षरता दर राजस्थान राज्य में 52.66 प्रतिशत है।

2.2 निष्कर्ष – प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं–

वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम उत्कर्ष पर थी और पुरूषों की भांति स्त्रियाँ भी समाज की सभ्य, शिक्षित एवं सम्मानित अंग थीं और उन्हें बहुत गरिमामय स्थान प्राप्त था।

उत्तर वैदिक काल के प्रारम्भ में वैदिक काल के समान स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था और उनकी स्थिति पुरूषों के समान थी, परन्तु बाद में धीरे धीरे स्त्री शिक्षा में गिरावट आयी और धार्मिक शिक्षा केवल उच्च घरानों की स्त्रियों को ही सुलभ हो सकी। बौद्ध काल के प्रारम्भ में स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरूषों की अपेक्षा निम्न था, उन्हें संघ प्रवेश की स्वतंत्रता न थी। कुछ समय उपरान्त स्त्री शिक्षा का प्रचलन प्रारम्भ हो गया, किन्तु इस क्षेत्र में केवल सीमित विकास हो सका। इस

प्रकार कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से स्त्री शिक्षा को किसी भी प्रकार की कोई प्रेरणा प्राप्त न हो सकी।

मुस्लिम काल के उदय से स्त्रियों ने अपनी महत्वत्ता पूर्णतः खो दी और वह जीवन की मुख्य धारा से कटकर शक्तिहीन हो गयीं एवं अकेली पड़ गयीं। वह पुरूष जाति पर और अधिक आश्रित हो गयीं। पर्दा प्रथा के कारण शिक्षा के द्वार प्रायः बंद हो चले और लड़कियों की शिक्षा पर स्वतः हीं पर्दा पड़ गया। अतः इस काल में लड़कियों की शिक्षा लगभग समाप्त सीं हो गयीं।

सन् 1930 तक अंग्रेजी शासनकाल में गुजरात में लड़कियों की आधुनिक प्रकार की प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ हुयीं। तत्पश्चात राज्य सरकारों ने स्त्री शिक्षा का भार निजी प्रयासों पर डाल दिया। निजी प्रयासों ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, किन्तु इसमें आशाजनक कार्य न हो सका।

लड़कियों के विवाह की आयु 14 से 16 वर्ष हो गयीं, किन्तु लड़कियों की शिक्षा का विस्तार स्वतंत्रता के पश्चात ही हुआ।

1951 की अपेक्षा 1971 में स्त्री शिक्षा की प्रगति संख्या की दृष्टि से दोगुना हुयीं, जबकि लड़कों की शिक्षा की प्रगति डेढ़ गुना हुयीं तथा स्त्री शिक्षा की साक्षरता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई।

वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुरूष के समान स्त्रियों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। कल्पना चावला, सुनीता बिलियम्स, सोनिया गांधी आदि वर्तमान समय की उच्च शिक्षित एवं सुसंस्कृत स्त्रियाँ हैं, जिन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त है।

तृतीय अध्याय

3.1 भारत में स्त्री शिक्षा की समस्यायें।

3.2 भारत में स्त्री शिक्षा सुधार हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास।

3.3 भारत के प्रमुख स्त्री शिक्षा संस्थान।

3.1 भारत में स्त्री शिक्षा की समस्यायें–

भारत में कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत महिलायें है, लेकिन पुरूषों की तुलना में भारत में महिला शिक्षा का स्तर बहुत कम है। यह इसलिए नहीं है कि महिलायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है बल्कि इसलिए हैं कि महिलाओं को इसके लिए बहुत सारी कठिनाइओं का सामना करना पड़ता है।

स्वतंत्रता के बाद से भारत में महिला शिक्षा और साक्षरता के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि कोई भी देश तभी सफलता की ओर बढ़ सकता है जब उस देश की महिलायें भी शिक्षित हों। इसके बावजूद भी भारत में उतनी अधिक अनुपात में महिला शिक्षा और साक्षरता नहीं आ पायी है जितनी सरकार चाहती है। भारत में इसके कई कारण हैं–

1. भारत में कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीब है। वे अपने बच्चों की शिक्षा का खर्चा नहीं उठा सकते। जब भी बेटा और बेटी की शिक्षा में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तो वे बेटा की शिक्षा में पैसा लगाना उचित समझते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बेटा बुढ़ापे में माँ–बाप का सहारा होता है और दूसरी तरफ बेटियां शादी करके माँ–बाप से अलग हो जाती है और वह दूसरे परिवार की हो जाती हैं। इसलिए माँ–बाप बेटियों की शिक्षा की ज्यादा चिन्ता नहीं करते ।

2. भारत में शिक्षा को रोजगार से जोड़ा गया है। दूसरे शब्दों में बच्चों को शिक्षा केवल इसलिए दी जाती है ताकि वे कुछ करके पैसा कमा सके। वे लोग जो अपनी बेटियों को रोजगार के लिए बाहर भेजने के पक्ष में नहीं होते हैं वो उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता भी नहीं समझते।

3. भारत की जनसंख्या का एक बहुत बडा भाग अभी भी यह विश्वास करता है, कि महिलाओं का वास्तविक स्थान उनका घर है तथा अपने पति और परिवार की सेवा करना तथा बच्चों को जन्म देना उनका मुख्य काम है। ये सारे काम करने के लिए इसका कोई महत्व नहीं है कि महिला पढ़ी है अथवा नहीं। यहाँ तक कि वो यह भी सोचते हैं कि यदि महिला पढ़ी लिखी होगी तो वह अपने परिवार के साथ समायोजन नहीं कर पायेगी।

4. भारत में पुरूषों के शैक्षिक संस्थान की तुलना में महिलाओं के शैक्षिक संस्थान बहुत कम हैं। इसलिए बहुत बार विशेष रूप से गांवों में लड़कियों को शिक्षा के लिए यात्रा करके दूसरी जगह जाना पड़ता है और बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः उनके माता पिता उन्हें बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने से मना करते हैं।

5. बहुत से लोग सह शिक्षा के विचार को पसन्द नहीं करते। वे लोग यह मानते हैं कि यदि लड़का और लड़कियां एक साथ पढेगें तो वे लोग
अपराधों को जन्म देगें। इसलिए माता–पिता अपनी बेटियों को सह–शिक्षा संस्थानों में भेजने से रोकते हैं।

इसलिए इन सामाजिक–आर्थिक कारणों के कारण भारत में महिला शिक्षा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पायी है।

3.2 भारत में स्त्री शिक्षा सुधार हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास–

The government has initiated many projects to improve the literacy rate of woman in India. Some of them have been discussed below-

3.2.1 National policy on education-

The national policy on education is a smaller branch or segment of the "National Education For Woman". It has a positive effluence in the empowerment of woman. It propagates new values through Redesigned text books, curriculums, and stationary and so on. All these materials have been modeled to suit the needs of women Accordingly.

3.2.2 Sakshaar Bharat mission for female literacy

This was launched in 2001, to prevent the alarming drop in female education. Its aim was to reduce the literacy rate of women by half in spite of being new in the arena, it has managed to do its share.

3.2.3 Indian Shiksha Karmi Project

This project is all about sharing through education. This project tries to preach the ignorant Indian population the woman too can rise to be on the after acquiring education. This plan is co-supported by the Swedish Government and it Is in vogue in Rajasthan.

3.2.4 Training of female teachers

Training women to educate the nation is also another forte of the "In-

dian Shiksha Karmi Project" This Plan educated them about all the technical know-how's that are required to become a teacher.

3.2.5 Scholarship for her-

The ignorant section of the society always roots for the education of their sons. Due to several biases and superstitions they ignore the education of their daughter. But when questioned they smartly put up answers citing financial difficulties. Several scholarships have been introduced by the central as well as the state government such as the single girl child scholarship for women, scholarship for women scientists and so on. Several scholarships such as the Maulana Azad national Scholarship have been launched to assist meritorious girl students belonging from minority communities. These are an answer to the qualms that earlier cited by the families of women for not being able to educate them.

3.2.6 Mahila samakhya program-

This initiative was taken by the government in 1988, in accordance with the New Education Policy of 1968. This group was launched as a rural wing of the sarva siksha abhiyan (SSA). It was launched mainly to help and empower the weaker section of rural women.

3.2.7 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme-

It was launched in the month of July in 2004. Its main aim is to

dian Shiksha Karmi Project" This Plan educated them about all the technical know-how's that are required to become a teacher.

3.2.5 Scholarship for her-

The ignorant section of the society always roots for the education of their sons. Due to several biases and superstitions they ignore the education of their daughter. But when questioned they smartly put up answers citing financial difficulties. Several scholarships have been introduced by the central as well as the state government such as the single girl child scholarship for women, scholarship for women scientists and so on. Several scholarships such as the Maulana Azad national Scholarship have been launched to assist meritorious girl students belonging from minority communities. These are an answer to the qualms that earlier cited by the families of women for not being able to educate them.

3.2.6 Mahila samakhya program-

This initiative was taken by the government in 1988, in accordance with the New Education Policy of 1968. This group was launched as a rural wing of the sarva siksha abhiyan (SSA). It was launched mainly to help and empower the weaker section of rural women.

3.2.7 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme-

It was launched in the month of July in 2004. Its main aim is to

serve girls from backward classes and those having financial difficulties. Now -a- days these schools take up about 75% of students from backward classes and 25% from BPL (Below Poverty Level). 54.16% of women from the backward classes are now with education according to the 2001 census report.

3.2.8 National Program for Education of Girls at Elementary Level-

This is also another wing of the SSA. It reaches to the remote places where the SSA cannot reach. This program has uplifted the education standards of several women across the backward provinces of Rajasthan, Gujarat and Bihar and so on. The female literacy rate grew from 53.67% to 65.46% as per 2011 Census date. The male literacy rate in comparison rose from 75.26% to only 82.14%. So the literacy rate of woman is improving at a better rate than for men, thanks to different initiatives by the state governments as well as the central government.

Many women from the backward provinces of India now have primary education. People, who earlier thought that educating women was a waste of time, are now having second thoughts. The above mentioned policies introduced by the Indian Government have improved the education status of woman but still lot of work need to be done.

3.3 भारत के प्रमुख स्त्री शिक्षा संस्थान–

भारत में स्त्रियों को शिक्षा के अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए अनेक शिक्षण संस्थान खोले गए, जिनमें से कुछ निम्न हैं–

(क) वनस्थली विद्यापीठ– वनस्थली विद्यापीठ स्त्रियों की शिक्षा की संसार में सबसे बड़ी विद्यापीठ है। इसमें प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातक व परास्नातक तथा डाक्ट्रेट स्तर तक के शैक्षिक प्रोग्राम प्रचलित हैं।

यह भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर के 72किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस विद्यापीठ में लड़कियों को सांस्कृतिक व पारम्परिक मूल्यों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है।

वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 6 अक्टूबर 1935 में रतन शास्त्री व हीरालाल शास्त्री ने अपनी बेटी शान्ताबाई की याद में करवाई। वनस्थली विद्यापीठ के सारे छात्रावास का नाम उनकी बेटी के नाम के आधार पर श्री शान्ता भवन, शान्ता निवास एवं शान्ता कुटीर है।

श्री हीरालाल शास्त्री

श्रीमती रतन शास्त्री

वनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी– शारीरिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, प्रयोगात्मक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा बौद्धिक शिक्षा प्रदान की जाती है।

वनस्थली विद्यापीठ परीक्षा आधारित शैक्षिक पद्धति पर विश्वास नहीं करता।

Banasthali University

(ख) **श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठः—** यह दक्षिण पश्चिम एशिया या भारत की पहली महिला विद्यापीठ है। इस विद्यापीठ की स्थापना महिलाओं की शिक्षा के लिए सन् 1916 में महर्षि केशव कर्व ने की थीं। इस विद्यापीठ में सन् 1921 में पहली पांच महिलाओं ने स्नातक की पढ़ायी पूरी की थीं।

इस विद्यापीठ का मुख्य कार्यालय दक्षिण मुम्बई में चर्चगेट के पास स्थित है। जबकि मुख्य कैम्पस मुम्बई के शान्ताकुंज जुहू में स्थित है। वर्तमान समय में इस विद्यापीठ में 70000 से अधिक छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इस विद्यापीठ के अन्तर्गत 26 कालेज, 38 विश्वविद्यालय कक्ष, 11 स्नातक कॉलेज

वनस्थली विद्यापीठ परीक्षा आधारित शैक्षिक पद्धति पर विश्वास नहीं करता।

Banasthali University

(ख) **श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठः–** यह दक्षिण पश्चिम एशिया या भारत की पहली महिला विद्यापीठ है। इस विद्यापीठ की स्थापना महिलाओं की शिक्षा के लिए सन् 1916 में महर्षि केशव कर्व ने की थी। इस विद्यापीठ में सन् 1921 में पहली पांच महिलाओं ने स्नातक की पढ़ायी पूरी की थी।

इस विद्यापीठ का मुख्य कार्यालय दक्षिण मुम्बई में चर्चगेट के पास स्थित है। जबकि मुख्य कैम्पस मुम्बई के शान्ताकुंज जुहू में स्थित है। वर्तमान समय में इस विद्यापीठ में 70000 से अधिक छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इस विद्यापीठ के अन्तर्गत 26 कालेज, 38 विश्वविद्यालय कक्ष, 11 स्नातक कॉलेज

तथा 38 परास्नातक कक्ष है। वर्तमान समय में यह एसएनडीटी महिला विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र की पहली विद्यापीठ है, जिसे नेशनल असेसमेंट एण्ड एक्रिडिटेशन काउन्सिल ऑफ इण्डिया से फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त है।

(ग) अविनाशिलिंगम महिला विश्वविद्यालय:– यह विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में स्थित है तथा महिलाओं के लिए गृहविज्ञान तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख केन्द्र है।

अविनाशिलिंगम विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में महान देशभक्त तथा शिक्षाविद् टी.एस. अविनाशिलिंगम द्वारा की गयी। इस विश्वविद्यालय में स्नातक , परास्नातक तथा पी.एच.डी स्तर के सभी कोर्स प्रचलित है, जिसमें मुख्यतः गृह विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा कम्युनिटी शिक्षा प्रमुख है।

तथा 38 परास्नातक कक्षा है। वर्तमान समय में यह एसएनडीटी महिला विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र की पहली विद्यापीठ है, जिसे नेशनल असेसमेंट एण्ड एक्रिडिटेशन काउन्सिल ऑफ इण्डिया से फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त है।

(ग) अविनाशिलिंगम महिला विश्वविद्यालयः– यह विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में स्थित है तथा महिलाओं के लिए गृहविज्ञान तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख केन्द्र है।

अविनाशिलिंगम विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में महान देशभक्त तथा शिक्षाविद् टी.एस. अविनाशिलिंगम द्वारा की गयी। इस विश्वविद्यालय में स्नातक , परास्नातक तथा पी.एच.डी स्तर के सभी कोर्स प्रचलित है, जिसमें मुख्यतः गृह विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा कम्युनिटी शिक्षा प्रमुख है।

(घ) ज्योति विद्यापीठ:- ज्योति विद्यापीठ राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा की गयी। इस विद्यापीठ में नारी शक्ति और उसके अधिकारों के बारे में जागृति प्रदान की जाती है।

डॉ0 पंकज गर्ग को इस विद्यापीठ का सबसे छोटा संस्थापक माना जाता है। इस विद्यापीठ में अकेडमिक कोर्स के साथ कम्युनिटी अवेयरनेस कम्पल्सरी कोर्स जैसे- महिला अधिकार, महिला शक्ति, आपदा प्रबंध आदि पास बच्चों को डिग्री प्रदान की जाती है और इसके नम्बर अंकपत्र पर दिखाये जाते हैं। इस विद्यापीठ में स्नातक-परास्नातक के कोर्स प्रचलित है।

इस प्रकार इन स्त्री शिक्षा संस्थानों द्वारा स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं और वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रही है।

चतुर्थ अध्याय

4.1 स्त्री शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझाव–

(1) वुड का घोषणापत्र (1854)

(2) हंटर आयोग (1882–83)

(3) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन 1917)

(4) हर्टाग समिति (1929)

(5) राधाकृष्ण आयोग (1948–49)

(6) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)

(7) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1959)

(8) हंसा मेहता समिति (1962)

(9) कोठारी आयोग (1964)

(10) भक्तवत्सलम् समिति (1965)

(11) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1970)

(12) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

(13) प्रो. राममूर्ति समिति (1991)

(14) राष्ट्रीय महिला आयोग (1992)

चतुर्थ अध्याय

4.1 स्त्री शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझाव–

(1) वुड का घोषणापत्र (1854)

(2) हंटर आयोग (1882–83)

(3) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन 1917)

(4) हर्टांग समिति (1929)

(5) राधाकृष्ण आयोग (1948–49)

(6) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)

(7) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1959)

(8) हंसा मेहता समिति (1962)

(9) कोठारी आयोग (1964)

(10) भक्तवत्सलम् समिति (1965)

(11) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1970)

(12) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

(13) प्रो. राममूर्ति समिति (1991)

(14) राष्ट्रीय महिला आयोग (1992)

4.1 स्त्री शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझाव–

1. वुड का घोषणापत्र (1854)–

घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इस सम्बन्ध में दान आदि के द्वारा सहायता देने वाले व्यक्तियों की सराहना की गयी है। घोषणापत्र में इस बात पर बल दिया गया है कि स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में उदारपूर्ण नीति का अनुसरण किया जाये और लोगों को इस पवित्र कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाये। यह भी कहा गया है कि स्त्री शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाये। कम्पनी के सहायक गवर्नर जनरल की इस घोषणा से संतुष्ट एवं मैत्रीपूर्ण सहायता प्राप्त हो। इस सम्बन्ध में घोषणापत्र में लिखा है:–

The importance of female education in india cannot be over-rated. We cannot refrain from expressing cordial symathy with the efforts which are being made in this direction. our Governor-General has declared that the Government ought to give to the native female education in india its franks and cardinal support and in this heartily concur.

इसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन नव–निर्मित शिक्षा विभागों द्वारा अनेक स्थानों में बालिकाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई।

1870 में ईंग्लैण्ड की समाज सेविका कु0 मुरी कारपेन्टर भारत आयीं और उनके प्रयत्नों से स्त्री शिक्षा के आन्दोलन को और बल मिला।

सन् 1877 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बालिकाओं को मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा उपेक्षित स्त्री शिक्षा में प्रगति आरम्भ हुई।

2. **हन्टर आयोग–** इस आयोग ने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की दयनीय दशा से द्रवित होकर जोरदार शब्दों में यह सिफारिश की–

स्त्री शिक्षा अब भी अत्याधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है। 'कमीशन' के विचारों से न केवल सरकार को वरन् जनता को भी स्त्री शिक्षा का प्रसार करने की प्रेरणा प्रदान की।

एस0एन0 मुकर्जी के अनुसार– जनता एवं सरकार के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा अति द्रुत गति से प्रगति हुई और 1902 में सब प्रकार की बालिका शिक्षालयों की संख्या 6,107 हो गई।

अतः स्त्री शिक्षा की उन्नति के लिए आयोग ने अग्रांकित सिफारिशें की।

1. बालिका विद्यालयों को उदार आर्थिक सहायता दी जाये।

2. बालिका विद्यालयों के निरीक्षण के लिए निरीक्षकाओं की नियुक्ति की जाये।

3. बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा एंव छात्रवृत्ति के प्राथमिक विद्यालयों के लिए सुगम पाठ्यक्रम का निर्माण हो।

4. पर्दे में रहने वाली बालिकाओं के लिए उनके घरों पर शिक्षा देने के लिए अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये।

5. बालिकाओं को शिक्षा व्यवसाय के प्रति आकृष्ट करने के लिए बालिका प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना हो।

6. विधवा महिलाओं को शिक्षिका बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

7. माध्यमिक शिक्षा स्थानीय मांग के आधार पर की जाये।

8. छात्राओं के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाये।

9. बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालयों का प्रबन्ध स्थानीय संस्थानों को देना चाहिए यदि संस्थायें कार्य करने को तैयार न हों तो सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए।

10. बालिका–विद्यालयों को अनुपातिक रूप से अधिक आर्थिक सहायता दी जाये तथा सहायता अनुदान नियम सरल किए जायें।

3. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन 1917)–

1. 15 या 16 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों की शिक्षा के लिए ''पर्दा स्कूल'' स्थापित किये जाये।

2. कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा के लिए विशेष बोर्ड ''स्पेशल बोर्ड आफ वोमेन्स एजूकेशन'' बनाए जाने जिससे स्त्रियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार हो।

3. यह महिला शिक्षा बोर्ड महिला कॉलेजों में अध्यापिका प्रशिक्षण तथा चिकित्सा शिक्षा का प्रबन्ध करें।

4. शिक्षा विषय को बी०ए० तथा इण्टर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की सिफारिशें की जायें।

5. सह–शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाये।

4. हर्टाग समिति (1929)– हर्टाग समिति फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई इस समिति ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए।

1. बालिकाओं का पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाये।

2. अधिक से अधिक संख्या में अध्यापिका तथा निरीक्षकाओं को पर्याप्त वेतन पर नियुक्त किया जाये।

3. अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये।

4. बालिकाओं के स्कूल में अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या रोकने का पूरा प्रयत्न किया जाये।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की अधिक से अधिक सुविधाऐं प्रदान की जाये।

6. बालिकाओं के लिए हाईस्कूल स्तर पर बालकों से भिन्न पाठ्यक्रम हों।

आयोग ने स्त्री शिक्षा के विषय में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए-

1. स्त्रियों को रूचिपूर्ण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन के लिए तथा नागरिकता की शिक्षा के लिए पुरूषों के समान सुशिक्षा की सुविधायें होनी चाहिए।

2. बालिकाओं को ऐसी शिक्षा दी जाये कि जिससे वे सुजाता और सुगृहिणी हो सके।

3. बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार किया जाये।

4. बालिकाओं व बालकों की अनेक बातों में समानता हो सकती है। लेकिन सभी बातों में समानता नहीं हो सकती।

5. सह शिक्षा संस्थाओं में पुरूषों पर स्त्रियों के प्रति शिष्ट व्यवहार और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने का भार सौंपा जाये।

6. गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र और गृह प्रबन्ध के अध्ययन के लिए बालिकाओं को प्रेरित किया जाये।

7. अध्यापिकाओं को समान कार्य के लिए अध्यापकों के बराबर ही वेतन दिया जाये।

8. बालिकाओं को अपने हितों के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने में योग्य पुरूषों व स्त्रियों द्वारा परामर्श दिया जाये।

9. ऐसा पाठयक्रम बनाया जाये जो बालिकाओं को समाज में स्थान दिला सके।

10. स्नातक स्तर पर सह शिक्षा देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाये।

6. राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)–

भारत सरकार ने सन् 1958 में स्त्री शिक्षा पर विचार करने तथा उसकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए 'श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख' की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की गयी। समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और उसमें अग्रलिखित सुझाव दिए।

1. केन्द्रीय सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।

2. केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए।

3. केन्द्रीय सरकार को सब राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा के विस्तार नीति निर्धारित करनी चाहिए और उनको इस नीति का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए।

4. ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए और केन्द्रीय सरकार को प्रसार सम्बन्धी व्यय का भार अपने ऊपर ले लेना चाहिए।

5. पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा में विद्यमान विषमता को यथाशीघ्र समाप्त करके दोनों की शिक्षा में समानता स्थापित करनी चाहिए।

6. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं को शिक्षा की अधिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।

7. राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1959) –

'देशमुख समिति' की सिफारिश को स्वीकार करके केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1959 में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' का निर्माण किया गया। 1964 में इसका पुर्नगठन किया गया। इसके मुख्य कार्य अग्रलिखित हैं–

1. बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लक्ष्यों, नीतियों कार्यक्रमों एवं प्राथमिकताओं के विषय में सुझाव देना।

2. विद्यालय स्तर पर बालिकाओं और प्रौढ स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।

3. शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए उपायों का सुझाव देना।

4. बालिकाओं एंव स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिए उचित उपायों का सुझाव देना।

5. स्त्री शिक्षा के क्षेत्रों में होने वाली प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना और भावी कार्यक्रम की प्रगति पर दृष्टि रखना।

6. स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन किये जाने की सिफारिश करना।

8. हंसा मेहता समिति (1962)– हंसा मेहता ने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए।

1. 14 वर्ष तक बालिकाओं के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये एवं विज्ञान मुख्य विषय हो।

2. प्राथमिक स्तर पर बालक व बालिकाओं के पाठयक्रमों में कोई अन्तर न रखा जाये।

3. मिडिल स्तर पर ऐच्छिक विषय पढाने के लिए स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाये।

4. अलग अलग विषयों के लिए अध्यापिकाओं को रखा जाये।

5. पाठयक्रम आवश्यकतानुसार व अनुभवों और समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाये।

6. व्यवसायिक शिक्षा समिति के लिए प्रोत्साहन तथा व्यवसायिक शिक्षा संस्थाऐं स्थापित की जाये।

9. भक्तवत्सलम् समिति (1965)– इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं।

1. प्राथमिक स्तर पर पृथक–पृथक विद्यालय खोलना अत्यन्त व्यय साध्य है। अतः प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा को लोकप्रिय बनाया जाये।

2. स्त्री शिक्षा की पर्याप्त प्रगति न होने का कारण यह है कि विद्यालय में महिला अध्यापिका नहीं है। अतः स्त्रियों को अध्यापन व्यवसाय की ओर आकृष्ट किया जाये।

3. लड़कियों की शिक्षा के प्रति जो सामाजिक मान्यतायें फैली हुई हैं, उन्हे तोड़ा जाये।

4. निर्धन छात्रों को विद्यालयों की यूनिफार्म तथा पाठयपुस्तकें आदि भी दी जायें।

5. जिन राज्यों में स्त्री शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है, उन्हें केन्द्र सरकार विभिन्न स्तरों की शिक्षा हेतु शत–प्रतिशत सहायता दें।

9. कोठारी आयोग (1964–66)– कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा के समस्त पक्षों के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं:–

(अ)– प्राथमिक शिक्षा– 'कोठारी कमीशन' ने बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं।

1. भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किये जायें।

2. बालिकाओं का बालकों के प्राथमिक विद्यालयों में भेजने के लिए जनमत का

निर्माण किया जाये।

3. उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना करने का प्रयत्न किया जाये।

4. बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें , सामग्री एंव वस्त्र देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

5. 11–13 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

(ब)– माध्यमिक शिक्षा– 'कोठारी कमीशन' ने बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा के विषय में निम्नांकित विचार प्रकट किए हैं।

1. बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना की जाये जहां यह संभव नहीं है वहां के विद्यालयों में कुछ अध्यापिकाओं की अनिवार्य रूप से नियुक्ति की जाये।

2. बालिकाओं को छात्रावास एवं यातायात के साधनों की सुविधाऐं प्रदान की जाये।

3. बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों और अल्पकालीन एवं व्यवसायिक शिक्षा की योजनाऐं आरम्भ की जाये।

(स)– उच्च शिक्षा– 'कोठारी कमीशन' ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा के बारे

ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं:-

1. छात्रवृत्तियों एवं मितव्ययी छात्राओं की व्यवस्था करके बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

2. बालिकाओं के लिए पूर्व स्नातक स्तर पर प्रौद्योगिकी, मानवशास्त्र आदि पाठ्य विधियों में से चयन करने की स्वतंत्रता दी जाये।

3. शिक्षा गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठय विषय को विकसित करके उनको बालिकाओं के लिए अधिक आकर्षित बनाया जाये।

4. बालिकाओं को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी,मानवशास्त्र आदि पाठयविधियों की चयन की स्वतंत्रता दी जाये।

5. बालिकाओं को व्यवसायिक प्रबन्ध एंव प्रशासन की उच्च शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाये।

6. एक या दो विश्वविद्यालयों में स्त्री शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाये।

(द)– सामान्य सुझाव– 'कोठारी कमीशन' ने स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ सामान्य सुझाव भी दिए हैं, जो निम्नलिखित हैं–

1. स्त्री शिक्षा के मार्ग की समस्त बाधाओं को दूर करनें के लिए ठोस और निश्चित कदम उठाये जायें।

2. स्त्रियों व पुरूषों की शिक्षा के बीच में जो खाई है उसे यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए विशेष योजना बनाई जाये।

3. केन्द्रीय व राज्य स्तर पर शिक्षा की देखभाल करने के लिए प्रशासकीय संगठनो का सृजन किया जाये।

4. स्त्रियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाये।

11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1970)– राष्ट्रीय शिक्षा समिति के स्त्री शिक्षा सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं –

1. बालिकाओ की शिक्षा के प्रसार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये।

2. बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए योग्य अध्यापिकाओं जो ग्रामीण क्षेत्रो में कार्य करने की इच्छुक हों की बडी संख्या में नियुक्ति की जाये।

3. बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के बीच विद्यमान भेद के कम से कम समय में दूर किया जाये।

4. सरकार को बालिका विद्यालयों को समस्त सुविधाऐं देने का प्रयत्न करना चाहिए।

12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)– राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित उपाय सुझाये गए हैं:–

1. बालिकाओं की शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण करना चाहिए।

2. औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा की सुविधाएें बढाना।

3. वर्तमान कार्यकमों का विस्तार एंव अनेक सहायता कार्यकमों को प्रारम्भ किया जाये। जिससे बालिकाओं का स्तर बढाया जा सके।

4. आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपूरक पाठयकम तैयार करना।

5. महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका की योजना के लिए समूची शिक्षा प्रणाली को तैयार करना।

6. व्यवसायिक, तकनीकि, वृत्तिक शिक्षा तथा विद्यमान और उभरती प्रौद्यौगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढाना।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गतिशील प्रबन्धकीय ढाचें का निर्माण करना।

8. निरक्षर स्त्रियों के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करके निरक्षरता दूर करने के उपाय किये जायें जिसमें स्वयंसेवी संगठन, सम्पूर्ण मानवशक्ति का सहयोग लिया जाये।

13. **प्रो0 राममूर्ति समिति (1991)–** इस समिति कें अग्रलिखित सुझाव हैं–

1. छात्राओं को विद्यालय पहुँचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाये।

2. अध्यापिकाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति की जाये।

3. विद्यालयों में पोषण, स्वास्थ्य एंव बाल विकास का समावेश किया जाये।

4. विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसंधान केन्द्रो की स्थापना की जाये।

5. महिला शिक्षा कें लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाये।

6. छात्राओं को आवासीय सुविधाऐं प्रदान की जाये इसके लिए छात्रावासों की स्थापना की जाये।

7. महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना हो।

8. योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाये।

14. राष्ट्रीय महिला आयोग (1992)– 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया। यह आयोग 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया। इसमें एक सदस्य, एक सचिव, पांच पूर्णकालिक सदस्य हैं।
इस आयोग के मुख्य कार्य अग्रलिखित हैं–

1. महिलाओं को कानूनी सुरक्षायें प्रदान की गयी हैं, उन्हें कारगर ढंग से लागू करने के उपाय सुझाना।

2. महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में कमी अपर्याप्त या त्रुटि पर संसाधनों के भी सुझाव देना।

3. महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देना एवं जहां कानूनों का उल्लंघन होता है समस्याओं से सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुंचाना।

4. महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजनाएें बनाने की प्रकिया में भाग लेना।

5. सुधार ग्रहों जेलखानों व अन्य स्थानों पर उनके पुर्नवास तथा दशा सुधारने कें लिए सिफारिशें करना।

मार्च 1993 में ''इलैक्ट्रानिक मीडिया के लिए महिला परिप्रेक्ष्य'' पर गोष्ठी हुई जिसमें समाचार पत्रों व मुद्रित सामग्री के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

पंचम् अध्याय

5.1 भारत में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन।

5.2 प्रसिद्ध भारतीय महिलायें।

5.3 निष्कर्ष

5.4 भावी शोध हेतु सुझाव।

5.1 भारत में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन

—

भारत में महिलाओं की स्थिति में पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरूषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर
मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कुछ सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलायें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।

महिलाओं की स्थिति में लगातार परिवर्तन को देश में महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है।

1. 1879: जान इलियट ड्रिंकवाटर बिथयून ने 1849 में बिथयून स्कूल स्थापित किया, जो 1879 में बिथयून कॉलेज बनने के साथ भारत का पहला महिला कालेज बन गया।

2. 1883: चन्द्रमुखी बसु और कादम्बिनी गांगुली ब्रिटिश साम्राज्य और भारत में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिलायें बनीं।

3. 1886: कादम्बिनी गांगुली और आंनदी गोपाल जोशी पश्चिमी दवाओं में प्रशिक्षित होने वाली महिलायें बनीं।

4. 1905: कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला सुजान आरडी टाटा थीं।

5. 1916: पहला महिला विश्वविद्यालय, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना समाज सुधारक घोड़ो केशव कर्वे द्वारा केवल पांच छात्रों के साथ 2 जून 1916 को की गई।

6. 1917: एनी बेसेन्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला बनीं।

7. 1919: पंडिता रामाबाई, अपनी प्रतिष्ठित समाजसेवा के कारण ब्रिटिश राज द्वारा कैंसर-ए-हिंद सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी।

8. 1925: सरोजिनी नायडू भारतीय मूल की पहली महिला थीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं।

9. 1927: अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई।

10. 1944: आसिमा चटर्जी ऐसी पहली भारतीय महिला थीं जिन्हें किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।

11. 1947: 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रदेशों की राज्यपाल बनीं और इस तरह वे भारत की पहली राज्यपाल बनीं।

12. 1951: डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर प्रथम भारतीय महिला व्यावसायिक पायलट बनीं।

13. 1953: विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस जनरल एसेम्बली की पहली महिला (और पहली भारतीय) अध्यक्ष बनीं।

14. 1959: अन्ना चान्डी, किसी उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला जज बनीं।

15. 1963: सुचेता कृपलानी उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालते वाली वे पहली महिला थीं।

Sucheta kraplani

16. 1966: कैप्टेन दुर्गा बनर्जी सरकारी एयरलाइन्स, भारतीय एयरलाइंस, की पहली भारतीय महिला पायलट बनीं।

17. 1966: कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने समुदाय नेतृत्व के लिए रेमन मैंगसेसे पुरुस्कार प्राप्त किया।

18. 1966: इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।

19. 1970: कमलजीत संधू एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं।

20. 1972: किरणबेदी भारतीय पुलिस सेवा (इण्डियन पुलिस सर्विस) में भर्ती होने वाली प्रथम भारतीय महिला नागरिक बनीं।

Kiran Bedi

21. 1979:मदर टेरेसा ने नोबेल शान्ति पुरूस्कार प्राप्त किया, और वह यह सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला नागरिक बनी।

22. 1984: 23 मई को, बचेन्द्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढने वाली पहली भारतीय महिला बनी।

23. 1989: न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीबी भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला जज बनी।

24. 1992: प्रिया झिंगन भारतीय थलसेना में भर्ती होने वाली पहली महिला कैडेट थी (6 मार्च 1993 को उन्हें कमीशन किया गया)

25. 1994: हरिता कौर देओल भारतीय वायु सेना में अकेले जहाज उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट थीं।

26. 1997: कल्पना चावला, भारत में जन्मी ऐसी प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गयी।

Kalpana Chawla

27. 2000: कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी (सिडनी में 2000 के समर ओलंपिक में कांस्य पदक)

28. 2002: लक्ष्मी सहगल भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी होने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी।

29. 2004: पुनीता अरोड़ा, भारतीय थलसेना में लेफ्टिनेंट जनरल के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली प्रथम महिला बनीं।

Pratibha Patil

30. 2007: प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बनीं।

31. 2009: मीराकुमार भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।

5.2 प्रसिद्ध भारतीय महिलायें–

कुछ प्रमुख प्रसिद्ध भारतीय महिलायें निम्न हैं–

कला और मनोरंजनः– एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, गंगूबाई, हंगल, लता मंगेशंकर और आशा भौंसले जैसी गायिकाऐं एवं वोकलिस्ट और ऐश्वर्या राय जैसी अभिनैत्रियों को भारत में काफी सम्मान दिया जाता है। आंजोली इला मेनन प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक है।

खेलः– हालांकि भारत में सामान्य खेल परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है, कुछ भारतीय महिलाओं ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत की कुछ प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों में पीटी उषा, जेजे शोभा (एथलेक्टिस), कुंजरानीदेवी (भारोन्तोलन), डायना एडल्जी (क्रिकेट), साइना नेहवाल (बैडमिंटन) कोनेरूहमपी (शतरंज) और सानिया मिर्जा (टेनिस) शामिल हैं, कर्णम मल्लेश्वरी (भारोन्तोलन) ओलंपिक पदक (वर्ष 2000 में कांस्य पदक) जीतने वाली भारतीय महिला हैं।

Karnam malleshwari

राजनीतिः– भारत में पंचायत राज संस्थानों के माध्यम से दस लाख से अधिक महिलाओं ने सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अनुसार सभी निर्वाचित स्थानीय निकाय अपनी सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित रखते हैं हालांकि विभिन्न स्तर की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं का प्रतिशत काफी बढ़ गया है, इसके बावजूद महिलाओं को अभी भी प्रशासन और निर्णयात्मक पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।

Soniya Ghandhi

साहित्यः– भारतीय साहित्य में कई सुप्रसिद्ध लेखिकाएें, कवियत्रियों और कथा लेखिकाओं के रूप में जानी जाती हैं, इनमें से कुछ मशहूर नाम हैं सरोजनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरूंधति राय, अनीता देसाई । सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है । अंरूधति राय को उनके उपन्यास द गाड आफ स्माल थिंग्स के लिए बुकर पुरूस्कार (मैन बुकर प्राइज) से सम्मानित किया गया था ।

Arundhati roy

वाणिज्यः– 2013 अक्टूबर नवम्बर में भारत की लगभग आधे बैंक व हित व वित्त उद्योग की अध्यक्षता महिलाओं के हाथ में थी ।

1. अंरूधति भट्टाचार्य – स्टेट बैंक आफ इण्डिया भारत का सबसे बड़ा बैंक।

Arundhati Bhattacharya

2. चित्रा रामकृष्ण– नेशनल स्टॉक एक्सचेंज–भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज

3. रेणु सूद कर्नाड– एचडीएफसी लिमिटेड– भारत की सबसे बड़ी गृह ऋण कम्पनी।

4. चंदा कोचर–आईसीआई बैंक–निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बैंक।

Chanda Kochar

5. शिखा शर्मा– एक्सिस बैंक, शुभलक्ष्मी पणसे– इलाहाबाद बैंक आफ इण्डिया, विजयालक्ष्मी अययर– बैक आफ इण्डिया, अर्चना भार्गव– यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया, नैनालाल किदवई–एचएसबीसी भारत, कल्पना मोरपारिया–जेपी मोर्गन, काकू नखाते– बैंक आफ अमेरिका मेरिल लिंच, भारत के शीर्ष पर है। ऊषा सांगवान भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कम्पनी एलआईसी की प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई है।

6. इसके अतिरिक्त– भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड में भी दो महिलाओं को स्थान प्राप्त है– इला भट्ट व इंदिरा राजारमन

5.3 निष्कर्ष:–

प्राचीन समय में सामान्य रूप से सभी स्त्रियों को पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें प्राप्त न थीं। प्राचीनकाल में विश्वतारा, घोष, लोपामुददा, गार्गी, मैत्रेयी आदि कतिपय विदुषी नारियों का उल्लेख प्राप्त हेाता है। बौद्धकाल

में अवश्य ही स्त्रियों की शिक्षा के लिए पृथक संघ थे।

मुस्लिम काल में पर्दा–प्रथा के कारण धनी व्यक्तियों की बालिकाओं,व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्राप्त करती थीं। कुछ मुस्लिम बालिकायें मदरसों में शिक्षा ग्रहण करती थीं। इस काल में शिक्षा का काफी ह्रास हुआ, फिर भी रजिया बेगम, नूरजहां, जहांआरा, जेबुन्निसा, मुक्ताबाई,जीजाबाई, गुलबदन, मुमताज महल आदि के नाम उल्लेखनीय है।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय नारी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मिशनरियों ने बालिका शिक्षा के लिए कुछ विद्यालय स्थापित किए। सन् 1819 में डेविड हेयर ने बालिका समाज नामक संस्था की स्थापना की। सन् 1854 में वुड के घोषणापत्र में स्त्री शिक्षा का भार शासन ने स्वयं ले लिया। 1882 तक प्रत्येक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा की पर्याप्त सुविधायें हो गईं। सन् 1904 में श्रीमती एनी बेसेंट ने वाराणसी में 'केन्द्रीय हिंदू बालिका विद्यालय' की स्थापना की।

महात्मा गांधी द्वारा संचालित राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्रियों ने अपूर्व योगदान दिया। परिणामस्वरूप सन् 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने पुरूषों के समान अधिकारों की मांग की। यदि वर्तमान समय की बात की ओर ध्यान दिया जाये तो स्त्रियों की शैक्षिक एंव सामाजिक दशा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में बालकों की शिक्षा के साथ ही बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा के महत्व को स्वीकारा गया है। स्त्रियों को पर्याप्त शैक्षिक अवसरों के प्राप्त होने के कारण आज वे प्रत्येक क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही है। शैक्षिक स्थिति अच्छी होने के कारण उनको समाज में भी सम्मानजनक स्थान प्रदान किया जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा के

द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है। आज स्त्री शिक्षा के महत्व को भारतवर्ष में स्वीकार किया जा रहा है।

5.4 भावी शोध हेतु सुझावः– निम्नलिखित सुझाव हैं–

1. प्रस्तुत अध्ययन में स्त्री शिक्षा की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। इसी प्रकार स्त्री की सामाजिक स्थिति के विकास का अध्ययन किया जा सकता है।

2. प्रस्तुत अध्ययन की सहायता से स्त्रियों की संवेगात्मक अभिवृत्ति का अध्ययन भी किया जा सकता है।

3. प्रस्तुत अध्ययन में सिर्फ प्राचीन व वर्तमान समय की स्त्रियों की शैक्षिक दशा का अध्ययन किया गया है। इसी प्रकार वर्तमान समय में स्त्रियों में शिक्षा द्वारा आधुनीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।

4. प्रस्तुत अध्ययन में स्त्रियों की शैक्षिक दशा का अध्ययन किया गया है। इसी प्रकार सांस्कृतिक व शैक्षिक प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है।

5. प्रस्तुत अध्ययन में प्राचीन व वर्तमान समय की स्त्रियों की शैक्षिक दशा का अध्ययन किया गया है। इस क्षेत्र में जिन जिन समाज सुधारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन समाज सुधारकों एवं उनके विचारों का अध्ययन किया जा सकता है।

6. प्रस्तुत अध्ययन द्वारा प्राचीन शिक्षा प्रणाली एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ ग्रन्थ सूची

गुप्त रामबाबू,	भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें	रतन प्रकाशन मन्दिर आगरा–2
मदन मोहन	भारतीय शिक्षा का विकास और समस्याएं	कैलाश प्रकाशन इलाहाबाद
अग्रवाल, बी.बी.	आधुनिक भारतीय शिक्षा	विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा
राय, पारसनाथ	अनुसंधान परिचय	लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा
राव, आर.के.	नारी और शिक्षा	कालपज प्रकाशन दिल्ली
पाण्डेय, रामशुक्ल	राष्ट्रीय शिक्षा	विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा
कुमार, नरेश	राष्ट्रीय शिक्षा	विनोद प्रकाशन मेरठ
अग्रवाल, जे.सी.	वीमेन एजुकेशन इन इण्डिया कान्सेप्ट	देहली प्रकाशन
रस्तोगी, के.जी.	भारतीय शिक्षा का विकास और समस्यायें	रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ
श्रीवास्तव, डी.एन.	अनुसंधान विधियाँ	साहित्य प्रकाशन आगरा–3
देसाई, एन.	वीमेन इन मार्डर्न इण्डिया	वोरा एण्ड कम्पनी मुम्बई

शर्मा, एल.पी.	भारतीय इतिहास	अग्रवाल प्रकाशन आगरा
इण्टरनेट	महिला पुरूष साक्षरता सूची	गूगल सर्च
इण्टरनेट	भारत का नक्शा	गूगल सर्च
इण्टरनेट	चित्र	गूगल सर्च

परिशिष्ट

परिशिष्ट - क   स्त्री पुरूष साक्षरता सारणी

परिशिष्ट - ख   भारत का नक्शा

परिशिष्ट - ग   प्रसिद्ध आधुनिक महिलायें

स्त्री पुरूष साक्षरता सारणी

2011 की जनगणना के अनुसार पुरूष और स्त्री साक्षरता दर

राज्य	कुल साक्षरता	पुरूष साक्षरता	स्त्री साक्षरता	कुल साक्षरता दर	पुरूष साक्षरता दर	स्त्री साक्षरता दर
भारत	778454120	444203762	334250358	77.04	82.14	65.46
जम्मू व कश्मीर	7245053	4370604	2874449	68.74	78.26	58.01
हिमाचल प्रदेश	5104506	2791542	2312964	83.78	90.83	76.6
पंजाब	18988611	10626788	8361823	76.68	81.48	71.34
चंडीगढ	809653	468166	341487	86.43	90.54	81.38
उत्तराखण्ड	6997433	3930174	3067259	79.63	88.33	70.7
हरियाणा	16904324	9991838	6912486	76.64	85.38	66.77
दिल्ली	12763352	7210050	5553302	86.34	91.03	80.93
राजस्थान	38970500	24184782	14785718	67.06	80.51	52.66
उत्तरप्रदेश	118423805	70479196	47944609	69.72	79.24	59.26
बिहार	54390254	32711975	21678279	63.82	73.39	53.33
अरूणाचल प्रदेश	789943	454532	335411	66.95	73.69	59.57
नागालैण्ड	1357579	731796	625783	80.11	83.29	76.69
मणिपुर	1891196	1026733	864463	79.85	86.29	73.17
मिजोरम	847592	438949	408643	91.58	93.72	89.4
त्रिपुरा	2831742	1515973	1315769	87.75	92.18	83.15
मेघालय	1817761	934091	883670	75.48	77.17	73.78
असम	19507017	10756937	8750080	73.18	78.81	67.27
पश्चिम बंगाल	62614556	34508159	28106397	77.08	82.67	71.16
झारखण्ड	18753660	11168649	7585011	67.63	78.45	56.21
उड़ीसा	27112376	15826036	11186340	73.45	82.4	64.36
छत्तीसगढ़	15598314	8962121	6636193	71.04	81.45	60.59
मध्यप्रदेश	43827193	25848137	17979056	70.63	80.53	60.02
गुजरात	41248677	23995500	17953177	79.31	87.23	70.73
दमन व दीव	188974	124911	64063	87.07	91.48	79.59
दादर व नागर हवेली	228028	144916	83112	77.65	86.46	65.93
महाराष्ट्र	82512225	46224041	36218184	82.91	89.82	75.48
आंधप्रदेश	51438510	28759782	22678728	67.66	75.56	59.74
कर्नाटक	41029323	22808468	18220855	75.6	82.85	68.13
गोवा	1152117	620026	532091	87.4	92.81	81.84
लक्षद्वीप	52914	28249	24665	92.28	96.11	88.25
केरल	28234227	13755888	14478339	93.91	96.02	91.98
तमिलनाडु	52413116	28314595	24098521	80.33	86.81	73.86
पाण्डिचेरी	966600	502575	464025	86.55	92.12	81.22
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	293695	164219	129476	86.27	90.11	81.84

Oorvazi Irani in Conversation with
DR. SHOMA CHATTERJI
THE ROLE OF
WOMEN
IN INDIAN CINEMA